

सोशल

मीडिया

सेल

आजमगढ़

पत्र सं०- 241/21

दिनांक- 26 मई 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- महाराजगंज

**60 लीटर अपमिश्रित शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध मादक पदार्थों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी कुशल निर्देशन में दिनांक 25.5.2021 को उ०नि० हौसिला प्रसाद सिंह मय हमराह हे०का० रमेश कुमार व हे०का० संतोष कु० यादव के देखभाल क्षेत्र व अभियान अवैध शराब निष्कर्षण में क्षेत्र में सहदेवगंज बाजार में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिला कि ग्राम नौबरार देवारा जदीद किता 1 कुर्मियान ढाला के तिराहा पर 03 व्यक्ति 20-20 लीटर के जरिकेनों में अवैध अपमिश्रित शराब बेच रहे हैं। जिसको बेचने के लिए यूरिया और फिटकिरी मिलाकर तीव्रता बढ़ा देते हैं। हमराहीगण को उक्त सूचना से अवगत कराकर मय पुलिस बल के साथ मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुंचे कि उक्त तीनों व्यक्ति पुलिस बल को देखकर भागने लगे पुलिस बल द्वारा दौड़ाकर एक व्यक्ति को मौके पर समय करीब 20.30 बजे पकड़ लिया गया और दो व्यक्ति मौके से उंची - नीची भूमि की फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए पास में रखे जरिकेनो व पन्नी में रखी वस्तु और भागने वाले व्यक्तियों के बारे में पूछा गया तो उसने अपना नाम मदन यादव पुत्र राजदेव यादव निवासी नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम (कुर्मियान टोला) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ व पास में रखे 03 जरिकेनो में 20-20 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब (कुल- 60 लीटर) व पालीथीन में यूरिया व फिटकिरी बरामद हुआ तथा फरार अभियुक्त गण का नाम रजिन्दर यादव पुत्र रामकेवल यादव उर्फ बुढ़ाई यादव निवासी नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ व दूसरा सूर्यभान साहनी पुत्र रामसकल साहनी निवासी कुडही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 159/21 धारा 272, 273 IPC व 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

अभियुक्त मदन यादव पुत्र राजदेव यादव निवासी नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम (कुर्मियान टोला) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

**बरामदगी**

1. 60 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब

2. एक किलो यूरिया व 250 ग्राम फिटकिरी

### पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 159/21 धारा 272, 273 IPC व 60 आबकारी अधिनियम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 हौसिला प्रसाद सिंह मय हमराह HC रमेश कुमार व HC संतोष कुमार यादव थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ।

### थाना अतरौलिया

### मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार

दिनांक 27.08.2019 को वादी अतुल कुमार यादव पुत्र राम बदन पो0 माडर मऊ थाना जंहागीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर ने थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 21.08.2019 को दोपहर 12.00 बजे के करीब मैं अपनी गाड़ी हिरो सुपर नं0- UP62 AH 3589 माडल 2013 (रंग काली और नीली) को 100 सैय्या अस्पताल अतरौलिया जनपद आजमगढ़ में दवा लेने आया था जब मैं बाहर निकला तो मेरी गाड़ी गायब थी । मैंने आस-पास सभी से पता किया किन्तु कुछ पता नहीं लग सका। वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 155/19 धारा 379 /411 IPC पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त अंशदीप सिंह उर्फ टिंकू पुत्र स्व0 श्यामबहादुर सिंह साकिन वाजिदपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित , इनामिया, अवैध शराब बिक्री के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर महेन्द्र कुमार शुक्ला व प्रभारी निरीक्षक पंकज पाण्डेय अतरौलिया आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 26.05.2021 को उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह हे0 का0 अवधेश सिंह व का0 कमलेश सिंह थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित/वारंटी अभियुक्त के क्षेत्र में मौजूद थे तो मुखबिर खास से सूचना मिली कि मुकदमें से सम्बंधित अभियुक्त अंशदीप सिंह उर्फ टिंकू पुत्र स्व0 श्यामबहादुर सिंह साकिन वाजिदपुर थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद है। इस सूचना पर विश्वास करके हमराही कर्मचारी के साथ रवाना होकर अभियुक्त के घर ग्राम वाजिदपुर थाना कप्तानगंज में आकर दबिश दी गई तो एक ब्यक्ति घर से बाहर निकलकर जाने लगा तो संदेह होने हमराही कर्मचारी के सहयोग से उसे घेरघार कर रोककर नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अंशदीप सिंह उर्फ टिंकू पुत्र स्व0 श्यामबहादुर सिंह साकिन वाजिदपुर थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़ बताया । अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में मोटर साइकिल चोरी का

वांछित अभियुक्त है अतः समय 04.00 बजे अभियुक्त अंशदीप सिंह उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुये हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 155/19 धारा 379/411 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तार अभियुक्त-

अंशदीप सिंह उर्फ टिकू पुत्र स्व0 श्यामबहादुर सिंह साकिन वाजिदपुर थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़

### आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 155/19 धारा 379/411 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 0325/2019 धारा 411/413/414/419/420/467/468/471 IPC थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 204/2019 धारा 406 IPC थाना जहनागांज जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- 0179/2019 धारा 379 IPC थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0- 02/2021 धारा 419/420/467/468 IPC थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0-121/2020 धारा 3/25/30 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0-82/2020 धारा 41/411/414/419/420/467/468/471 IPC थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
8. मु0अ0सं0- 83/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
9. मु0अ0सं0-198/2019 धारा 406/419/420/504/506 IPC थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह थाना अतरौलिया आजमगढ़
2. हे0का0 अवधेश सिंह थाना अतरौलिया आजमगढ़
3. का0 कमलेश सिंह थाना अतरौलिया आजमगढ़

### थाना देवगांव

### 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एव अपराधियों के विरुद्ध विशेष रूप से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.05.2021 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के द्वारा अपराध एव अपराधियों की

गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान व अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी लालंगज व प्रभारी निरीक्षक थाना देवगांव के नेतृत्व में नि0अ0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह रोकथाम जुर्म-जरायम मे मामूर थे कि जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि मु0अ0स0 35/2021 धारा 147/148/149/325/332/333/336/353/307/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट मे नामजद वांछित अभियुक्त सुनील यादव पुत्र शमादेव यादव मेहनाजपुर तिराहे पर किसी वाहन से भागने के फिराक मे खडा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर नि0अ0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह के मेहनाजपुर तिराहे पर ही अभियुक्त सुनील यादव को घेरकर समय करीब 06.50 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग –**

मु0अ0सं0 35/2021 धारा 147/148/149/325/332/333/336/353/307/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त**

सुनील यादव पुत्र श्यामदेव यादव निवासीडोमनपुर थाना देवगाँव आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली टीम –**

- (1) नि0अ0 राकेश कुमार सिंह
- (2) का0 राहुल कुमार